न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 819/2018

1. सुशील कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. रामकुमार पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. श्रीगंगानगर
2. अनिरूद्ध पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. श्रीगंगानगर
3. अमनदीप जान्दू श्री रामकुमार जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राज.)

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी — प्रार्थी –1
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 स्वयं उपस्थित
3. पैरोकार राज — अप्रार्थी–4

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 13.06.2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का सगा भाई है। चक 1 ई बडी पटवार हल्का शिवपुर तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 19 की 4.454 हैक. एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

मुरब्बा नम्बर 47/19 80.101 हैक.) कुल 4.555 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जमाबंदी मुताबिक दर्ज है एवं इसी चक 1 ई बडी के खाता संख्या 32/22 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 19(0.126), 20/1(0.240 हैक.), 21/2(0.240 हैक.), 22, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 हैक.), 25(0.228 हैक.)= 0.828 हैक. मुरब्बा नम्बर 47/13 (0.091 हैक. खाला), 47/19 (0.025 हैक.) कुल 2.537 हैक. कृषि भूमि भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। चक 1 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 20/2(0.013 हैक.), 21/1 (0.013 हैक.) =0.026 हैक., मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1/2(0.025 हैक.), 4(0.059 हैक.), 5(0.228हैक.), 6 ता 12 (प्रत्येक में 0.253 हैक.), 13/1 (0.114 हैक.) =2.197 हैक. मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 13(0.035 हैक. खाला) कुल 2.258 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से जमाबंदी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 1 ई बडी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 में सरकारी पक्की सड़क गुजरती है जिससे मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में (मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपता हुआ) प्रत्येक किला में 0.013 हैक. एवं मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 में 0.025 हैक. (मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5 से चिपता हुआ) उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भमि के विभाजन के समय ही रास्ता के लिए छोड़ दिया था तथा मौका पर रास्ता चल रहा है जिसका प्रयोग करके अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा में प्रवेश किा जाता है तथा प्रार्थी द्वारा भी अपने रकबा में प्रवेश किया जाकर रोजमर्रा के कृषि कार्य किये जाते हैं। उक्त मद में वर्णित अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता का प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रयोग कर रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव रखा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की बात को ठुकरा दिया तथा रास्ता बंद करने की धमकी दी। बस यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी रास्ता के सुखाधिकार को बहाल रखना चाहता है अन्यथा प्रार्थी के खेत में जाने के लए चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 ई बडी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में (मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपता हुआ) प्रत्येक किला में 0.013 हैक. एवं मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 में 0.025 हैक. (मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5 से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चिपता हुआ) उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे। अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 07.06.2019 को अपनी सहमति लिखित में दी कि यदि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में चाहे अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसकी ऐवज में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को किसी प्रकार के प्रतिफल की मांग नहीं है एवं उक्त रास्ता हेतु भूमि स्वेच्छा से छोड रहे हैं।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आपसी सहमति के आधार पर चक 1 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में (मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपता हुआ) प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 में 0.025 हैक्टर (मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5 से चिपता हुआ) उत्तर से दक्षिण की ओर गैरमुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर